

# न्यायालय अपर समाहर्ता, रोहतास (सासाराम)

1/2

जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं० - 98/2016

सरकार बनाम शारदा देवी

आदेश

26-12-20 प्रस्तुत वाद जमाबंदी रद्दीकरण वाद भूमि सुधार उप समाहर्ता, बिक्रमगंज के पत्रांक 966, दिनांक 13. 11.2014 से श्रीमती शारदा देवी, पति-श्री छोटन सिंह, ग्राम+पो०+थाना- राजपुर, अंचल-राजपुर जिला-रोहतास के नाम से कायम जामबंदी सं० - 4051/25 के रद्दीकरण हेतु प्रस्ताव के आलोक में प्रारंभ किया गया है, जिसमें वादगत भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:-

## वादगत भूमि का विवरण

अंचल का नाम	मौजा/थाना नं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकबा
राजपुर	राजपुर/07	933	3656	0.03ए०

भूमि सुधार उप समाहर्ता, बिक्रमगंज द्वारा प्रस्ताव में उल्लेख किया गया है कि प्रश्नगत भूमि का रिविजनल सर्वे खतियान अनाबाद बिहार सरकार के नाम से इन्द्राज है। अंचल अधिकारी राजपुर ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी श्रीमती शारदा देवी, पति-श्री छोटन सिंह, ग्राम+पो०+थाना- राजपुर, अंचल-राजपुर जिला-रोहतास के नाम से कायम कर दिया है, जो कि विधिसम्मत नहीं है। अतः अंचल अधिकारी राजपुर के द्वारा कायम किए गए जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की जाती है।

किस्म जमीन अनाबाद बिहार सरकार है। वाद के विचारण के दौरान उभय पक्षों को नोटिफा निर्गत की गयी। द्वितीय पक्ष दिनांक 09.09.2019 को वकालतनामा के साथ उपस्थित हुए, उसके उपरान्त लगातार अनुस्थित रहे तथा द्वितीय पक्ष द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे स्पष्ट है कि संबंधित विवादित जमाबंदीदार को प्रश्नगत जमाबंदी के सन्दर्भ अपना दावा के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं रखना है।

राज्य की ओर से सरकारी अधिवक्ता उपस्थित होकर राज्य का पक्ष रखा तथा अपना लिखित तर्क भी प्रस्तुत किया गया जिसमें उन्होंने वादगत भूमि का आर०एस० खतियान अनाबाद बिहार सरकार के नाम से कायम है तथा सक्षम प्राधिकार लगान निर्धारण द्वारा नहीं किये जाने के आधार पर प्रस्तुत जमाबंदी को रद्द करने का अनुरोध किया गया।

उक्त जमाबंदी रद्दीकरण वाद में इस न्यायालय द्वारा लगान निर्धारण अभिलेख के संबंध में प्रतिवेदन की मांग की गयी। जिसमें अंचल अधिकारी राजपुर से अंचल अधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि तत्कालिन राजस्व कर्मचारी मो० नेसार अहमद द्वारा दाखिल खारिज वाद सं० 637/2012-13 अंकित कर जमाबंदी सं० 4051/25 कायम किया गया है तथा जमाबंदी पंजी पर तत्कालीन अंचल अधिकारी श्री शिरीष कुमार चौहान का हस्ताक्षर है।

प्राप्त प्रस्ताव तथा सरकारी अधिवक्ता द्वारा दाखिल जवाब के अवलोकन तथा वाद के विचारण से निम्नवत तथ्य स्थापित होता है :-

(1) अनाबाद बिहार सरकार की भूमि बन्दोबस्ती के आधार प्राप्त बंदोबस्तीधारी को प्राप्त भूमि Non transferable but heritable होता है। इस प्रकार यदि बंदोबस्तीधारी से भी यह भूमि बिक्री पत्र के आधार पर को प्राप्त होने के तत्पश्चात नामान्तरण होना अवैध है।

(2) वादगत अभिलेख में रैयत को विक्रेता द्वारा भूमि प्राप्त होने के आधार का साक्ष्य न तो अंचल अधिकारी राजपुर के प्रतिवेदन के साथ संलग्न है और न ही विपक्षी द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि दा०ख०वाद सं० 637/2012-13 के आलोक में कायम जमाबंदी का आधार ही गलत है।

उपर्युक्त विवेचनाओं के आधार पर स्पष्ट है कि तत्कालीन पदाधिकारी द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर

26/12/20

जाकर उक्त जमाबंदी संधारित किया गया है, जो राजस्व विभागीय नियमावलियों के प्रतिकूल है। अतएव अंचल अधिकारी, राजपुर के जमाबंदी रद्दी वाद सं० 104/2014-15 से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में वादगत भूमि मौजा-राजपुर, थाना सं० - 07, खाता सं० - 933, खेसरा सं० - 3656 रकबा - 0.03ए० की जमाबंदी श्रीमती शारदा देवी, पति-श्री छोटन सिंह, ग्राम+पो०+थाना- राजपुर, अंचल-राजपुर के नाम से कायम है, का जमाबंदी सं० - 4051/25 को बिहार दाखिल खारिज अधिनियम 2011 के section - 9 में प्रदत्त शक्तियों के तहत जमाबंदी रद्द किया जाता है।

भूमि सुधार उप समाहर्ता, बिक्रमगंज को निदेश दिया जाता है कि उक्त वाद में संलिप्त दोषी पदाधिकारी/राजस्व कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु प्रस्ताव जिला पदाधिकारी रोहतास को भेजना सुनिश्चित करें।

आदेश से सभी संबंधित को अवगत करावें।

लेखापित एवं संशोधित।


  
अपर समाहर्ता,  
रोहतास (सासाराम)।

  
अपर समाहर्ता,  
रोहतास (सासाराम)।

जमाबंदी - 198/ग्यां, दिनांक - 31/12/20

प्रतिबिम्बि - अंचल अधिकारी राजपुर | भूमि सुधार उप समाहर्ता, बिक्रमगंज | स्थापना उप समाहर्ता, रोहतास सासाराम को सूचनाएं एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।

प्रतिबिम्बि - जिला सूचना एवं विज्ञान पदां (NAIC) को सूचनाएं एवं जिले के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
अपर समाहर्ता,  
रोहतास (सासाराम)।